प्रकरण सं. 171/2017 अध्या. 251(क) R.T.Act रामलोड V/s ग्रामपंचायत

सुनवाई के दौरान पार्टी हाजिर है मगर हाजिरजोती के हस्ताक्षर में कुछ भिन्नता नहीं की है। सुनवाई के दौरान अपार्थी सं. 2 स्टेट वहीलमार सिरोही द्वारा जवाब पेश किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया। सुनवाई के दौरान पार्थी व अपार्थी सं. 01 सरपंच ग्रामपंचायत बंवरी तथा अपार्थी सं. 2 स्टेट वहीलमार सिरोही द्वारा बहस करने से बहस सुनकर एवं पत्रावली से मनन किया।

बहस के दौरान अपार्थी सं. 02 वहीलमार सिरोही ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पार्थी रामलोड भाई पुत्र हा० पड़ुराम की ग्राम पाचरिया ते. मा. बंवरी में ख.नं. 123, 124, 125, 126, 127 कुल रकबा 5 एकड़ा 2.69 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि थाई हुई है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार पार्थी की उनकी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड के अनुसार किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं है। पार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण दायर कर रास्ते की मांग की गई है। मौके के अनुसार पार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु ख.नं. 112 की भूमि का उपयोग कर रहा है। पार्थी द्वारा रेकर्डेड रास्ते हेतु माननीय इस न्यायालय में ख.नं. 112 से रास्ते की मांग की गई है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार ख.नं. 112 रकबा 1.25 हैक्टेयर किस्म गोचर ग्रामपंचायत बंवरी के स्वामे की है। चूंकि उक्त ख.नं. 112 की किस्म गोचर है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में है। अतः उपरोक्त आधार पर पार्थी द्वारा किस रास्ते की भूमि ख.नं. 112 में से मांग की है वह ग्रामपंचायत बंवरी के स्वामे की किस्म गोचर भूमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी में आने से पार्थी को उक्त वर्णित रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से पार्थी का यह प्रकरण अध्या. 251(क) R.T.Act का विरुद्ध अपार्थी ग्रामपंचायत बंवरी का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार (डिस्मिस) किया जाता है। निर्णय की प्रति अन्य कोर्ट, अटल सेवा केन्द्र बंवरी में चस्पा से सूचना हेतु प्रसारित हो।

6/6/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)